छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

ांक एफ 2–7/2006/1/6: रायपुर दिनांक 29 मार्च, 2006

ा,
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

य:–सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने संबंधी।
र्भः–इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2006

इस विभाग का उपरोक्त संदर्भित पत्र एतद्द्वारा निरस्त करते हुए सूचना के धेकार अधिनियम के तहत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वयं की अथवा य शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली अथवा विभागीय पदोन्नति समिति की ठकों के कार्यवाही विवरण की प्रति की मांग होने पर, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाय नही? इस संबंध में विधि विभाग के निम्न अभिमत को ध्यान में रखकर निर्णय लिया य:–

"In my considered opinion A.C.R. of the employee is a confidential document the State and providing information of the same would affect the integrity and vereignty of the State. further, it is also record of personal information of the nployee which has no relationship with any public activity and interest and oviding information may cause unwarranted invasion of the privacy of the A.C.R. id about the person for whom A.C.R. is written. Hence there is no obligation on e part of the State to give information relating document of the State and is empted from being disclosed unless the State wants."

"The proceedings of the DPC also contain the personal information of other ersons who are in the gradation chart. This has no relationship to any public ticity or public interest and disclosure of such information would harm the mpetitive position of the third party. Such type of information are exempted from eing disclosed under class (d) and (j) of sub section (1) of section 8 of the RTI Act.

So concluding opinion is that there is no obiligation on the part of the state o furnish the information sought by the applicant.

/ इसे अपने अधीनस्थ समस्त जन सूचना अधिकारियों के ध्यान में लायें,ताकि ऐसे करणों में उनके द्वारा उक्त अभिमत को दृष्टिगत रख कर आवेदकों के आवेदनों का नेराकरण किया जा सके।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग